P

116

F.No.13/5/2016-Admn.
Government of India
Ministry of Finance
Department of Investment & Public Asset Management
(DIPAM)
***

Block No. 11 & 14, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi
Dated 22nd March, 2019

Subject:-INTERNSHIP PROGRAMME OF DIPAM FOR UNDERGRADUATES PURSUING FIVE YEAR INTEGRATED COURSE IN LAW AND GRADUATES PURSUING POST GRADUATION/POST GRADUATES PURSUING RESEARCH IN ECONOMICS/ FINANCE / MANAGEMENT.

This Department has the mandate to deal inter-alia with the matter relating to the disinvestment of Central Government's equity from Central Public Sector Undertakings which essentially envisages close interaction with merchant bankers and legal firms both domestic and international.

2. The Department intends to offer an internship programme for Undergraduates pursuing five year integrated course in law and graduates pursuing post graduation, Post Graduates pursuing research in economics/finance/management. The programme will provide an interface with the academic institutions and help to get fresh ideas from the field of academics which will enable the Department to critically analyze its activities and take corrective steps in an objective and impartial manner. It will also simultaneously provide an opportunity to the interns to gain valuable hand-on experience that would let them put their education to work especially in the areas of corporate law and corporate finance and familiarize themselves with the overall process of formulation of disinvestment policy of Government at the macro level.

3. The internship programme is neither a job nor any assurance as such for a job in DIPAM.

4. The guidelines/salient features of the Internship Programme are as follows:-

Eligibility	• Students possessing *first class graduation degree pursuing Post Graduation/high second class post-graduation degree (with at least 55% marks) pursuing Research courses in Economics/ Finance/Management/Law at National Schools of Economic/Central Universities/Recognized Finance/Economic Institutions/ Recognized National Management Institutes can* apply internship. • Students with at least 80% marks in 12th Standard pursuing five year integrated course in Law (only in fourth and fifth year of study) from the National Law Schools at Bangalore, Bhopal, Hyderabad and Kolkata are also eligible.
Duration	Duration of internship will be two months. The interns will be required to attend the programme full time for two months. There will be only one batch of internship programme during 2019-20. Batch of 5 interns is likely to commence in May, 2019.
Selection	All the applications will be scrutinized by the Selection Committee. The actual offer will be sent to the selected interns subject to availability of slots, consent of the concerned Division and approval of the Selection Committee. The Department shall accommodate 5 interns.
Placement	The interns would be attached with one of the Director/Deputy Secretary level officer in the concerned Division of the Department.
Logistics Support	Interns will be provided with the necessary logistics support, i.e, office space and computer with internet facility.
Token Remuneration	Token remuneration @Rs. 10,000/ - per month will be paid to the intern at the end of the internship.
Attendance	While doing Internship in DIPAM, the candidate should have a minimum of 75% attendance and they have to mark In and Out Time on daily basis.
Declaration of Secrecy	Interns are required to furnish to the Department a declaration of secrecy before reporting for the internship.

Contd..2/-

Submission of Paper	The interns will be required to present to the concerned Head of Division a Report/Paper on the assigned subject at the end of the internship. Simultaneously, they will be required to give a feedback to the concerned Head of Department on their experience of the Programme.
Certificates of Internship	Certificates will be issued to the interns at the end of the internships on submission of their Report/Paper.
How to Apply	Interested and eligible students should send their applications, along with their CVs, in the enclosed prescribed format to Joint Secretary (Administration), DIPAM, Room No. 413, Block No. 14, CGO Complex, New Delhi-110003. Last date for receiving of application is 11-04-2019.

(Neera Sharma)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 24368522.

To

(i) Press Information Bureau, Shastri Bhavan, New Delhi.
(ii) The Technical Director, NIC, DIPAM, with the request to put the Internship Programme on the Website of the Department

O/C

Got issued to all. And also uploaded on the DIPAM's website both English & Hindi versions.
22/3/19

फा. सं. 13/5/2016-प्रशा.
भारत सरकार
वित्त मन्त्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 11 एवं 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली

दिनांक २२ मार्च, 2019

विषयः- **विधि में पांचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले गैर-स्नातक छात्रों और पोस्टग्रेजुएशन करने वाले स्नातकों/अर्थ/वित्त/प्रबंधन में अनुसंधान करने वाले स्नातकोत्तर छात्रों के लिए दीपम का प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

यह विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, जिसमें अनिवार्य तौर पर घरेलु तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के मर्चेंट बैंकरों और विधिक फर्मों के साथ पारस्परिक क्रिया की परिकल्पना की गई है।

2. इस विभाग की यह मंशा है कि विधि में पांचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले गैर-स्नातक और पोस्टग्रेजुएशन करने वाले स्नातकों/अर्थ/वित्त/प्रबंधन में अनुसंधान करने वाले स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करे। इस कार्यक्रम से शैक्षिक संस्थानों से संबंध बनाने का अवसर मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र से नए विचार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जिससे विभाग अपनी गतिविधियों का महत्वपूर्ण विश्लेषण करने में सक्षम होगा और यथार्थ और निष्पक्ष तरीके से उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम होगा। इसके साथ-साथ इससे प्रशिक्षणार्थियों को काम करने का मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी शिक्षा का उपयोग कार्य विशेषकर निगमित कानून और निगमित वित्त के क्षेत्र में कर सकेंगे और बृहत स्तर पर सरकार की विनिवेश नीति के सूत्रीकरण की समग्र प्रक्रिया से स्वयं को परिचित करा सकेंगे।

3. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न तो कोई नौकरी है और न विनिवेश विभाग में नौकरी के लिए इस प्रकार का कोई आश्वासन है।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिशा-निर्देश/प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

पात्रता	• वे छात्र, जिन्होंने स्नात्तक की उपाधि प्रथम श्रेणी में पास की हो और पोस्टग्रेजुएशन कर रहे हों/वे छात्र जिन्होंने पोस्टग्रेजुएशन द्वितीय श्रेणी में (न्यूनतम 55% अंकों के साथ) पास की हो और नेशनल स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त वित्तीय/आर्थिक संस्थानों/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों में अर्थ/वित्त/प्रबंधन/ विधि में अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हों । • वे छात्र, जिन्होंने 12वीं कक्षा न्यूनतम 80% अंकों के साथ पास की हो और बेंगलूर, भोपाल, हैदराबाद और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय विधि विद्यालयों में पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम (अध्ययन के केवल चौथे और पांचवें वर्ष में) का अध्ययन कर रहे हों।
अवधि	प्रशिक्षण की अवधि दो माह होगी। प्रशिक्षणार्थियों के लिए इस पूर्णकालिक कार्यक्रम में दो माह उपस्थित रहना अपेक्षित होगा। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम का केवल एक बैच होगा। 05 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के मई, 2019 से आरंभ होने की संभावना है ।

चयन	सभी आवेदनों की चयन समिति द्वारा जांच की जाएगी। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को स्थान उपलब्ध होने पर, संबंधित प्रभाग की सहमति और चयन समिति के अनुमोदन के अधिन वास्तविक पेशकश भेजी जाएगी। विभाग में अधिकतम 05 प्रशिक्षणार्थियों को ही स्थान दिया जाएगा ।
नियोजन	प्रशिक्षणार्थियों को विभाग के संबंधित प्रभाग में निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ सहबद्ध किया जाएगा।
लॉजिस्टिक सहायता	प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जैसे कि कार्यालय स्थान तथा इंटरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर।
सांकेतिक पारिश्रमिक	प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से सांकेतिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
उपस्थिति	दीपम में प्रशिक्षण के दौरान उम्मिदवारों की न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए और उन्हें दैनिक आधार पर आने और जाने का समय अंकित करना होगा।
गोपनीयता की घोषणा	प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने से पहले विभाग को गोपनीयता की घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण	प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण के समापन पर सौंपे गए विषय के संबंध में एक रिपोर्ट/दस्तावेज संबंधित प्रभाग के प्रमुख को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके साथ-साथ उनके लिए कार्यक्रम के अपने अनुभव के संबंध में संबंधित प्रभाग के प्रमुख को प्रतिक्रियात्मक जानकारी देना भी अपेक्षित होगा।
प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र	प्रशिक्षण के अंत में अपनी रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
आवेदन कैसे करें	इच्छुक और पात्र छात्रों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपने बायो-डाटा के साथ अपने आवेदन संयुक्त सचिव (प्रशासन), दीपम, कमरा सं. 413, ब्लॉक न. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजने चाहिएं। **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 31.03.2019 है।**

(नीरा शर्मा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24368522

सेवा में,

1. प्रेस आसूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र, दीपम, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि यह स्कीम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए।